

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
12th Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg, Lucknow - 226001
यू० पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,
12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14. अशोक मार्ग, लखनऊ. 226001
CIN-U31901UP1985SGC007135



संख्या: 271-उनिलि/रिफार्म/अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970(ई०एण्डएम०/सिविल)/2024

दिनांक: 30/12/2024

कार्यालय ज्ञाप

निगम के "आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (विलय के उपरान्त) के निदेशक मण्डल की दिनांक 29.11.2024 को आयोजित सप्तम (7) बैठक में मद संख्या-7.5 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है -

यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में अभियन्ता संवर्ग हेतु प्रचलित विधाओं में सीधी भर्ती के पद सहायक अभियन्ता(प्रशिक्षु) (ई०एण्डएम०/सिविल) के पद पर अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा प्राप्तांक (GATE MARKS) के आधार पर भर्ती किये जाने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के का०ज्ञा०सं०: 1042-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/2024-08-विनियम/24, दिनांक: 16.11.2024 को यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


संख्या: 271-उनिलि/रिफार्म/अभियन्ता सेवा विनियमावली, 1970(ई०एण्डएम०/सिविल)/2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का०प्रबं० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक (अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर ताप विद्युत गृह, सोनभद्र/सोनभद्र/झाँसी/कानपुर/अलीगढ़/एटा)।
5. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), तापीय परिचालन/मानव संसाधन/वाणिज्य/ईंधन/आर०एण्डएम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद नव-परियोजना, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), पीपीएमएम/न्यू कोल ब्लॉक, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, टी० सी०-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2), प्रगति इकाई, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक (का० एवं प्रशा०), जल विद्युत स्कन्ध, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010।

11. सचिव, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एस०एल०डी०सी० परिसर (निकट मंत्री आवास), विभूति खण्ड फेज-2, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
12. अधीक्षण अभियन्ता (मा०सं०-01/03/04/05/06/रिफॉर्म/टा०वा०से०/प्रशिक्षण), उ०नि०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०-02/औ०सं०/वित्त एवं लेखा), उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), यू०पी०रा०वि०उ०नि०लि०, तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. कट फाइल।

आज्ञा से,



(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिसासी अभियन्ता (रिफॉर्म)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : 1042-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि /2024-08-विनियम/24

दिनांक: 16, नवम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 24.09.2024 को सम्पन्न 206(25)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा अभियन्ता संवर्ग के पद सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्डएम0/सिविल) के पद पर अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा प्राप्तों (GATE MARKS) के आधार पर भर्ती किये जाने हेतु संगत सेवा विनियमावली उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित) (ई0एण्ड एम0/सिविल) में स्तम्भ-01 के अनुसार लागू व्यवस्थाओं के स्थान पर स्तम्भ-02 की नवीन व्यवस्थाओं के अनुसार संशोधन किया जाता है :-

पूर्व प्रचलित व्यवस्था	नवीन लागू व्यवस्था
01 <u>Regulation no-05(1)(a) Point No.03 :</u> 1. The Board will hold a written test and/or interview as they deem fit either by themselves or through an outside agency for selection of the candidates. (परिषदादेश सं0-225-विनि-23/ राविप-92- 4-विनि/92 दिनांक 16.12.1992 द्वारा पूर्ववर्ती परिषद की सेवाओं में होने वाली सभी नियुक्तियों हेतु अभ्यर्थियों का चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से कराया जाना प्राविधानित है) 2. वर्तमान में कुल 200 अंको की परीक्षा आयोजित की जाती है। 3. साक्षात्कार हेतु 12.5 प्रतिशत का weightage दिया जाता है।	02 वेतनमान - सप्तम् वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (रू0-56100-177500) (5400/-ग्रेड पे) <u>सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति/चयन हेतु प्रक्रिया -</u> 1. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) (ई0एण्ड एम0/सिविल) के पद पर भर्ती किये जाने हेतु विज्ञापन विद्युत सेवा आयोग अथवा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग अथवा इसी प्रकार की केन्द्रीयकृत भर्ती संस्थाओं के माध्यम से निर्गत किया जा सकेगा। 2. विज्ञापित रिक्तियों पर चयन हेतु अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा प्राप्तों (GATE MARKS) के आधार पर इच्छुक अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जायेगा। अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग कारपोरेशन द्वारा निर्धारित वर्ष की GATE परीक्षा के MARKS के आधार पर की जायेगी। 3. शार्टलिस्टिंग उपरान्त मेरिट लिस्ट तैयार किये जाने हेतु साक्षात्कार को 12.5 प्रतिशत का weightage दिया जायेगा। 4. शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के माध्यम से सहायक अभियन्ता 'प्रशिक्षु' के रूप में चयनित किया जायेगा। 5. साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के 03 गुने से अधिक न होगी।

(ii) विद्युत सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों पर चयन हेतु GATE MARKS तथा साक्षात्कार का कट-ऑफ (Cut-off) निर्धारण विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से किया जायेगा।

क्रमशः.....02

(iii) विद्युत सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली अन्तिम मेरिट सूची में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अभ्यर्थियों को पदवार/श्रेणीवार श्रेष्ठता क्रम में प्रतीक्षा सूची के रूप में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रतीक्षा सूची का प्रयोग चयनित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित/विस्तारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न किये जाने की स्थिति में प्रयोग में लायी जायेगी। यह प्रतीक्षा सूची विद्युत सेवा आयोग द्वारा संस्तुति किये जाने के 08 माह तक प्रभावी रहेगी।

(iv) सेवा विनियमावली के अन्तर्गत विद्यमान विनियमों अथवा अन्य संगत आदेशों को उक्त निर्धारित व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जायेगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि० को अधिकृत किया जाता है।

(v) उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली-1970 (यथा संशोधित) (ई०एण्डएम०/सिविल) को उक्त सीमा तक संशोधित माना जायेगा, तथा उक्त विनियमावली के शेष अन्य प्राविधान यथावत् रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

प्रतिलिपि पत्रांक- 1042 (1)/विनियम एवं काविनी/पाकालि/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं कंसेकों एवं यू०पी०आर०ई०वी० के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को निदेशक मण्डल की मद सं० 206(25) में प्राप्त निर्णय के अनुपालन की सूचना सहित प्रेषित।
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcil.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(Signature)

(प्रभात सहगल)

उप सचिव (काविनी एवं विनियम)

(Signature)